



आर.ई.ओ.60

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(संयोजित संस्करण का उपकरण)

न्यू मार्केट इलेक्ट्रिकल शॉप, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का) फिक्स नं- 2741870

क्रमांक- अग्रनि/जोधपुर डि.रकॉम/अनु- पीपीएम/पत्राचार/प्रोसो 1187 जोधपुर, दिनांक 01/10/2003

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतिकृत ग्राम में क्रय भूमि पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

\*\*\*

निगम के आदेश क्रमांक 610 दिनांक 20/6/2002 (आर.ई.ओ.-18) एवं आदेश क्रमांक 1384 दिनांक 9/10/2002 (आर.ई.ओ.32) के तहत कृषि उपभोक्ता अपने कृषि कनेक्शन को कनेक्शन होने से पूर्व व बाद में निगम के किसी भी विद्युतिकृत ग्राम में स्थानान्तरित करवा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय है।

समन्वय समिति की 61 सी वेडक दिनांक 8/9/2003 में निर्णय लिया गया है कि उक्त स्थानान्तरण के लिये यह आवश्यक होगा कि नये स्थान पर क्रय की गई भूमि कम से कम एक हेक्टेयर हो।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(आर.एस.चौधरी)  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डि.रकॉम, जोधपुर।